

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SANGANER II
SANGANER

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

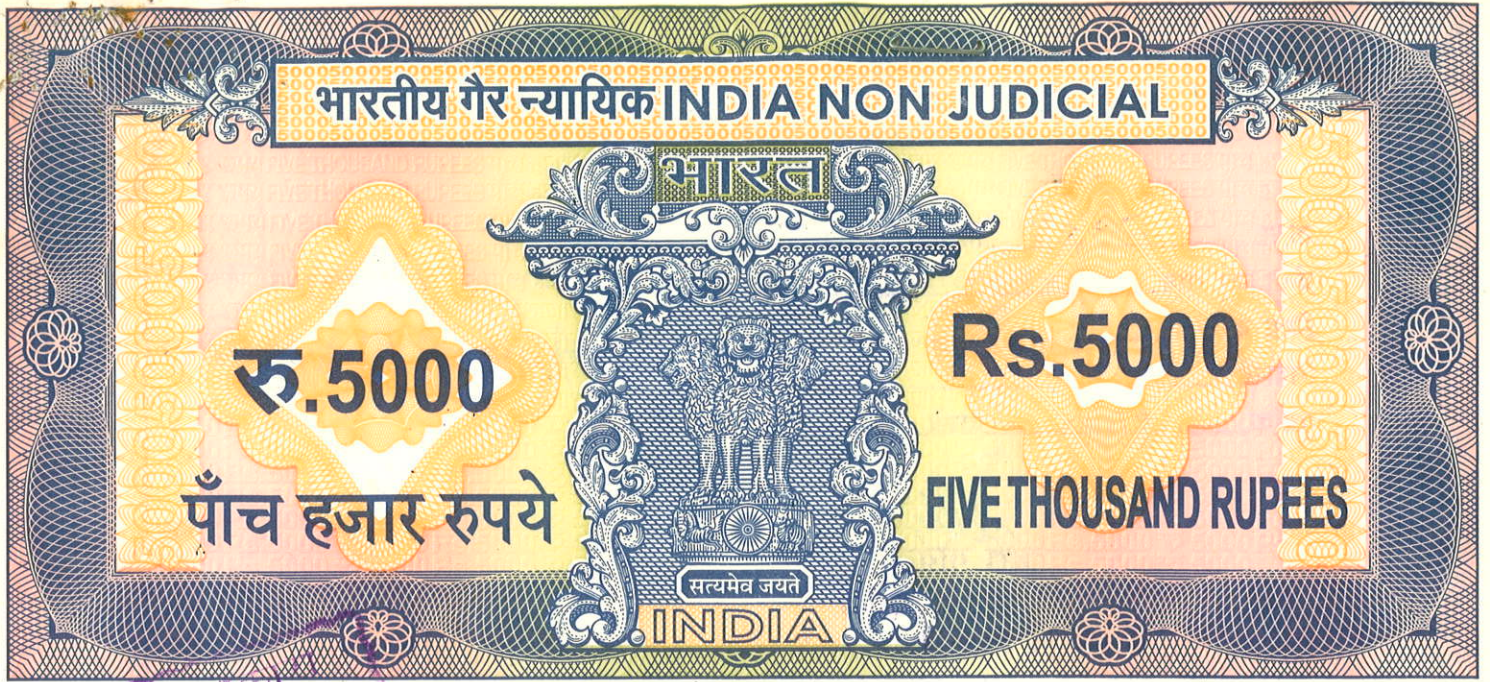
Fee Receipt No	2009399002373	Date	01/06/2009
Presenter Name	RAMESH CHAND	Document S. No	2009399002323
Presenter/Property Address	RAGHUNATHPURA URF RATLYA SANGANER JAIPURnullnull		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	SMT. RAMWATTI SINGH (SECRETARY SHRIKRISHAN BHAGWAN SHIKSHA SAMITY)		Payment Mode
Face Value	2937600	Evaluated Value	2937600
		Stamp Value	5000

Ord- registration fee	25000	commssion	0
csi_more_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	230010	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	255210

Two Lakh Fifty Five Thousand Two Hundred Ten Only

Cashier

Sub Registrar SANGANER-II



राजस्थान RAJASTHAN

124580

08 MAY 2009

राजस्थान



॥ विक्रय-पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 01 जून सन् 2009 ईस्वी को: रमेशचन्द उम्र 45 वर्ष पुत्र नारायणलाल एवं गुल्ला उम्र 65 वर्ष पि0 मु0 छोटू जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासियान् ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, जिन्हें आगे चलकर विक्रेतागण कहा गया है और इस विक्रय पत्र में प्रथमपक्ष शब्द से सम्बोधित है, जिसमें विक्रेतागण के समस्त दायभागी, उत्तराधिकारी, वारिसान् आदि सम्मिलित समझे जावेंगे के द्वारा श्रीकृष्ण भगवान शिक्षा समिति, रजि. कार्यालय 119/404, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर शहर जरिये सचिव : श्रीमती रामवत्ती सिंह उम्र 38 वर्ष धर्मपत्नी श्री सोनवीर सिंह जाति जाट, जिसे आगे चलकर क्रेता-समिति कहा गया है और इस विक्रय पत्र में द्वितीयपक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसमें क्रेता समिति के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिकारधारी, कार्यकारी आदि सभी सम्मिलित समझे जावेंगे, के हित में लेख्य किया जाता है।

क्रमशः..... 2

रमेशचन्द

उप-न्यायिक
सांगानेर द्वितीय

रामवत्ती

क्र.स. 2355 दिनांक 1-6-09

क्रेता का नाम श्री. कृष्ण नारायण खिल्ला सहित सप्ले. कपलिय 119/404, डा. सवाण जाम

पिता का नाम मा. सरोवर प्रिये सप्ले :- श्री. रामवली सिंह w/o. सोनवीर सिंह ए. जाम

निवासी मुद्रांक 5000 वास्ते विक्रयपत्र

प्रेम प्रकाश गोयल
स्टायिब विक्रेता सांगानेर तहसील
ता. नं. 32/03



आज दिनांक 1 माह जून सन् 2009 को 05:54 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN LAL
 उम्र 45 वर्ष, जाति BAGRA BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
 निवासी RAGHUNATHPURA URF RATLYA SANGANER JAIPUR null null
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 (2009399002323)
 (Sole Deed (Conveyance deed))
 हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 SANGANER-II

रसीद नं० [20093990023731]
 दिनांक [1-6-2009]
 पंजीयन शुल्क रु० 25000
 प्रतिनिधि शुल्क रु० 0
 पट्टांकन शुल्क रु० 200
 अन्य शुल्क रु० 0
 कमी स्टम्प शुल्क रु० 230010
 कुल योग रु० 255210



(2009399002323) उपपंजीयक, SANGANER-II
 ((Sale Deed (Conveyance deed)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Excutant)

1 -RAMESH CHAND / NARAYAN LAL
 उम्र -45 वर्ष जाति - BAGRA BRAHMAN, व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी - RAGHUNATHPURA URF RATLYA SANGANER JAIPUR

Signature

Photo

Thumb

2 -GULLA / CHHOTU
 उम्र -65 वर्ष जाति - BAGRA BRAHMAN, व्यवसाय -AGRICULTURE
 निवासी - RAGHUNATHPURA URF RATLYA SANGANER JAIPUR



(And Claiment)

1 -SMT. RAMWATTI SINGH (SECRETARY SHRIKRISHAN
 BHAGWAN SHIKSHA SAMITY) / SONVEER SINGH
 उम्र -38 वर्ष जाति - JAT व्यवसाय -SERVICE
 निवासी -OFFICE 119/404 AGRAWAL FARM MANSAROVAR
 JAIPUR



ने लेखपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर
 निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल यथी रु० 2937600/- पूर्व
 में/मेरेसमक्ष / मे से रु० 2937600/- पूर्व में ----- मेरे समक्ष प्राप्त
 करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री LAL CHAND SHARMA
 पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE JANKILAL SHARMA
 उम्र -52 वर्ष जाति-BAGRA BRAHMAN व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी RATLYA SANGANER JAIPUR,,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री NANDKISHORE SHARMA
 पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE GOPAL LAL SHARMA
 उम्र -22 वर्ष जाति-BAGRA व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी RATLYA SANGANER JAIPUR,,

ने की है निम्नके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठ के निशान मेरे समक्ष लिये
 गये हैं।

(2009399002323)
 Sale Deed (Conveyance deed)

उप पंजीयक, SANGANER-II



जो कि ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, पटवार हल्का लाखना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर 37/2 रकबा 1.28 हैक्टेयर कुल खसरा किता 1 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी विक्रेतागण रमेशचन्द पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/3, गुल्ल पि.गु. छोटे हिस्सा 2/3 के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। (जिसे आगे चलकर उक्त सम्पत्ति कहा गया है) इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि के प्रथमपक्ष विक्रेतागण बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, काबिज, स्वामी है। जिसको प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बैय, बख्शीश आदि नहीं किया है तथा ना ही किसी अन्य से अनुबन्ध, करार, सौदा आदि किया है। उक्त कृषि भूमि आज तक सभी प्रकार के झगड़ा, टंटा, ऋण, भार, जमानत, कुर्को, डिब्री, अवाति आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है। इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पत्ति को हर तरह से हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रथमपक्ष विक्रेतागण स्वयं को प्राप्त है।

जो कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण को वर्तमान समय में अपनी पारिवारिक एवं घरेलू खर्चों की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है, और कही से रूपयों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रथमपक्ष विक्रेतागण उक्त खातेदारी कृषि भूमि को निम्नानुसार क्रेता समिति के हित में विक्रय करना तय किया है, जो प्रथमपक्ष विक्रेतागण एवं द्वितीयपक्ष क्रेता समिति को अन्तिम रूप से स्वीकार है, ओर कोई इस विक्रय में बाधा या आक्षेप का कारण नहीं है।

अतः प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने अपनी स्वस्थ मानसिक स्थिति और स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी व्यक्ति के दबाव या आग्रह के उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 37/2 रकबा 1.28 हैक्टेयर कुल खसरा किता 1 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर में विक्रेता रमेशचन्द का हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 51/128 (17.00 एयर),

एवं विक्रेता गुल्ला का हिस्सा 2/3 में से हिस्सा 51/128, (34.00 एयर),

स्थित ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को बिना रखे कोई भी अंश या हिस्से के समस्त स्वामित्व, स्वल्वाधिकारों मय खातेदारी हक, हकूक, बोल, सोल, पानी, पूला, मेड, डोल सहित कुल मुचलिक रूपया 29,37,600/- (अक्षरे उन्नीस लाख सैंतीस हजार छः सौ रूपये मात्र) में उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता-समिति के हक में विक्रय कर दिया है अर्थात् कतई बेच दिया है। तथा द्वितीयपक्ष क्रेता-समिति ने प्रतिफल विक्रय की चूकती राशि इस दस्तावेज विक्रय पत्र निषादन निम्नानुसार प्रथमपक्ष विक्रेतागण को अदा कर दी है :-

चैक सं.	तादादी	बैंक का नाम	प्राप्तकर्ता
119468	8,50,000/-	दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर	रमेशचन्द
119469	8,50,000/-	दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर	गुल्ला
119470	8,50,000/-	दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर	गुल्ला
नकद	3,87,600/-		
कुल	29,37,600/-		

रामवनी

रामवनी

सह-पक्षीयक
सांगानेर द्वितीय

दि 12-12-2018

जिनको प्राप्त करने की पुष्टि प्रथमपक्ष विक्रेतागण इस दस्तावेज विक्रय पत्र में करते हैं। अब विक्रय मूल्य की कोई राशि क्रेता-समिति के जिम्मे बकाया नहीं रही है अब क्रेता-समिति उक्त भूमि की प्रथमपक्ष के समान स्वामी व अधिकारी हो गयी है तथा उसे उक्त भूमि में सभी खातेदारी हक, हकूक, मिलिकयत, मेड़, डोल आदि के प्राप्त हो गये हैं। जो कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण को आज से पूर्व प्राप्त थे। भविष्य में प्रथमपक्ष विक्रेतागण अथवा उनके वारिसान् वगैरह को इस विक्रय के विरुद्ध आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। द्वितीयपक्ष क्रेता-समिति को उक्त भूमि को सब प्रकार से उपयोग, उपभोग, हस्तान्तरण के अधिकार इस दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से प्राप्त हो गये हैं।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि वर्तमान में सब प्रकार के ऋण, भार, कर्ज, कुर्की, जमानत, मुचलका, अवाप्ति आदि से मुक्त एवं साफ है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय अथवा सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। यदि विक्रेतागण के हक, मिलिकयत के विरुद्ध कोई आपत्ति करेगा तो इस स्थिति में क्रेता-समिति को कोई हानि, हर्जा, खर्चा हुआ तो क्रेता-समिति कुल हानि, हर्जा, खर्चा मय ब्याज जरिये अदालत दावा दीवानी कर विक्रेतागण व विक्रेतागण की चल-अचल सम्पत्ति से वसूल कर सकेगी।

यह कि उक्त विक्रयकृत भूमि की पैमाईश पूर्व-पश्चिम 130 फिट (रोड़ की तरफ) तथा उत्तर-दक्षिण पूर्व साईड 387 फिट व पश्चिम साईड 458 फिट है। उपरोक्तानुसार ही प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने बेची गई भूमि का मौके पर भौतिक एवं वास्तविक कब्जा क्रेता-समिति के पदाधिकारियों को सम्भला दिया है और हर प्रकार से उपयोग-उपभोग में लेने हेतु स्वतंत्र कर दिया है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेतागण ने द्वितीयपक्ष क्रेता-समिति को सबूत मिलिकयत में कुल असल दस्तावेजात वक्त निष्पादन विक्रय पत्र सुपुर्द कर दिये हैं तथा अब उक्त विक्रयकृत कृषि भूमि का नामान्तरण क्रेता-समिति इस विक्रय पत्र से अपने हक में करा लेवें। नामान्तरण या अन्य किसी कार्यवाही में विक्रेतागण के हस्ताक्षरों, बयानों, गवाही आदि की जरूरत हुई तो विक्रेतागण, क्रेता-समिति को हर संभव सहयोग देने हेतु बाध्य रहेंगे, जिसके लिए अलग से किसी खर्च की मांग नहीं करेंगे।

यह कि विक्रयकृत भूमि के लिए विक्रेतागण करार करते हैं कि भूमि मौके पर पूरी-पूरी है और इसके खातेदारी के कागजात आदि में किसी प्रकार की खामी अथवा त्रुटि नहीं है यदि भूमि मौके पर नपती करते समय कम पाई जावेगी या खातेदारी के कागजात या कब्जे में किसी प्रकार का खोट या विवाद पाया जावेगा तो ऐसी सूरत में क्रेता-समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह विक्रय की राशि मय हर्जे-खर्चे, शास्ती व ब्याज सहित विक्रेतागण से वसूल कर लेवें।

क्रमशः.....4

प्राप्त

समय-पक्षीयक

सागानर द्वितीय

67023001

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की माहियत रुपये 2937600
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
यश 230010 पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 25000 कुल रुपये 255010 जसिये रसीद संख्या
[2009399002373]
दिनांक [1-6-2009] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रुपये 235010
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2009399002323) उप पंजीयक, SANGANER-II
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 3/6/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 96
में पृष्ठ संख्या 161 क्रम संख्या 2009399001857पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 384
के पृष्ठ संख्या 91 से 97
पर चस्पा किया गया।



(2009399002323) उप पंजीयक, SANGANER-II
Sale Deed (Conveyance deed)

4

4

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेतागण

Chlorine

1. रमेशचन्द्र

2m 2m 1.7m

23/02/21

2. शिक्षण

7/4/21

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष ब्रेता-समिति

जरिधे सचिवः श्रीमती रामवती सिंह

जरिधे सचिवः श्रीमती रामवती सिंह

जरिधे सचिवः श्रीमती रामवती सिंह

पञ्जीयक
द्वितीय
सांगानेर

नाम - नक्शा

ग्राम - रघुनाथपुरा (रातल्मा)

तहसील - सांगानेर

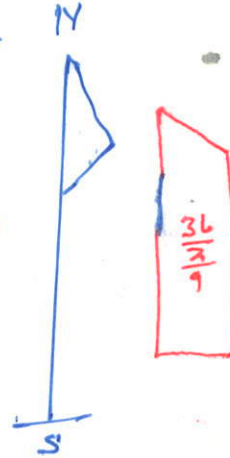
जिला - जयपुर

राजस्थान

प्रमाण सं. 9523-28

संख्या 2080-89

प्रमाण - 1 से.मी. 40 मी.





21/12/09

पटवारी

40 से. जयपुर
तहसील सांगानेर
जिला जयपुर

सत्यप्रतिष्ठा

R 35 2398

21/12/09